

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जौनपुर।

पत्र संख्या: एफ0एस0/मा0शि0-नवी0/2018

दिनांक: फरवरी 02, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

उमानाथ सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल,

शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर।

विषय:-

उमानाथ सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल, शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर का अग्निसुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर निर्गत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

संदर्भ:-

आपके आवेदन पत्र दिनांक: निल के संदर्भ में।

उपरोक्त सम्बन्ध में उमानाथ सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल, शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर का मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के प संख्या: एस.टी./एफ.एस./आई-3(स्कूल/सी.बी.)/2012 दिनांक 10-11-2012 के द्वारा भूतल व प्रथम तल का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। पुनः विद्यालय भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

1. प्रश्नगत शैक्षिक भवन हेतु अग्निशमन वाहन पहुँच कर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।
2. प्रश्नगत शैक्षिक भवन के प्रत्येक तल पर अधिष्ठापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स निरीक्षण के समय कार्यशील दशा में उपलब्ध पाये गये।
3. प्रश्नगत शैक्षिक भवन के प्रत्येक तल पर होजरील का व्यवस्थापन किया गया है।
4. शैक्षिक भवन में टेरस टैंक का प्राविधान करते हुए टेरिस पम्प स्थापित है।
5. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में फायर स्टेशन जौनपुर का टेलीफोन नम्बर 05452-269999, 9454418612 व 101 अंकित किया गया है।
6. प्रश्नगत शैक्षिक भवन प्रबन्धन को फायर एक्सटिंग्यूशर के संचालन की जानकारी दी गयी।
7. प्रश्नगत शैक्षिक भवन में स्थापित विद्युत व्यवस्थापन की जाँच विद्युत सुरक्षा विभाग से कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर उमानाथ सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल, शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर का निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है-

1. विद्यालय भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमि प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।


C.F.Q.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर

पत्रांक
सेवा में,

168/सिम्प A&I

दिनांक 8/11/12

प्रबन्धक,
उमानाथ सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल
शंकरगंज, महरूपुर
जौनपुर।

विषय— उमानाथ सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल, शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर के भवन का भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— प्रबन्धक, उमानाथ सिंह हायर सेकेन्ड्री स्कूल, शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2012

उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात् नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

पत्रांक /

8/11/12
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग
जौनपुर
दिनांक

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0-2, लो0नि0वि0, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

MANAGER
U.N. SINGH H. S. SCHOOL
Shankarganj, (Faridpur), Maharupur, Jaunpur

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
जौनपुर
PRINCIPAL
U.N. SINGH H. S. SCHOOL
Shankarganj, (Faridpur), Maharupur, Jaunpur

भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

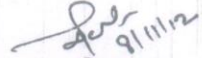
प्रमाणित किया जाता है उमानाथ सिंह हायर सेकेंड्री स्कूल, शंकरगंज, महरूपुर, जौनपुर के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार है। प्राप्त सूचना के आधार पर हस्ताक्षरित है।



अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
जौनपुर

MANAGER

U.N. SINGH H. S. SCHOOL
Shankarganj, (Faridpur), Maharupur, Jaunpur



सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0
निर्माण खण्ड-03, लो0 नि0 विभाग
जौनपुर

MCM

PRINCIPAL

U.N. SINGH H. S. SCHOOL
Shankarganj, (Faridpur), Maharupur, Jaunpur

5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जाय तथा इमरजेंसी इवेक्यूवेशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी की होगी।
8. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा।
9. विद्यालय में मीड डे मिल/कैंटीन आदि भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन सेड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जाय।
10. विद्यालय भवन के जिन कमरों में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को न बैठाया जाय।
11. उक्त शर्तों/निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर पूर्व में निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण/सिस्टम का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम के अकार्यशील पाये जाने व वार्षिक नवीनीकरण न कराये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की स्वयं होगी।

(आर०पी०राय)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जौनपुर।